तारीख मुकाम	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	[illegible] 182/13
17/5/22	[illegible] पेश हुई। [illegible] के [illegible] कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/5/22 को पेश हो।
24/5/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उप. I.P.O. [illegible] दौरे पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/5/22 को पेश हो।
30/5/2022	वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित। बहस बखिलाफ उभय पक्षों की सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 13/6/2022 को पेश हो।
13/6/2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 03 ने भी पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः सहखातेदार, पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। (बृजेश कुमार) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)